फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

राज0 सरकार **बनाम** **राहिताश**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 262 / **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिकाक्ता श्री रामेश्वरदयाल एड. ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादी प्रार्थीया के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। प्रार्थी की गैरहाजरी जानबुझ नहीं थी। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी खातेदारी भूमि को अकृषि उपयोग में लेने को स्वीकार करते है तथा विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाना चाहते है जिस हेतु नगरपालिका चिड़ावा में भूमि के संपरिवर्तन की चाराजाही कर रखी है। प्रार्थी प्रतिवादी को उक्त भूमि बाबत कानूनन रूप से नियमन की कार्यवाही की जाने बाबत न्यायहित में अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जाकर विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवायें जाने का अवसर प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	